



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 28/02/2019

File No.

- (1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
- (5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
- (7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. जिला कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.) | 2. पुलिस अधीक्षक
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.) |
|--|---|

विषय :- 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारप्रानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।

2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में - श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरु, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड- बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत- श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।


5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने, जाति सूचक गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किये गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाडा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।


(डॉ. ललित लड़ा) 26/1/24
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।
2. श्री फगूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाडा
3. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरु, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड- बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
6. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उईके पति श्री गोपीचंद उईके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)


राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) कार्यवृत्त

अपीलकर्ता आवेदक :-	श्रीमती प्रभाबाई पति श्री सुखपाल यहके, ग्राम डुंगरिया पोष्ट डुंगरिया तीतरा, तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा
आयोग की फाईल नंबर	PB/5/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
सुनवाई / बैठक की तिथि	21/01/2019
सुनवाई / बैठक में उपस्थित अधिकारी	परिशिष्ट क
स्थान	सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

उपरोक्त विचाराधीन आवेदिका की अपील / अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाड़ा प्रवास के समय कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।


- अपीलकर्ता आवेदिका श्रीमती प्रभाबाई पति श्री सुखपाल यहके निवासी डुंगरिया अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला है। उसके द्वारा आयोग में दिनांक 23/5/2018 को अपील प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि अनावेदक श्री लक्ष्मीचंद यादव द्वारा उसके मालिकाना हक की भूमि खसरा नंबर 78 रकबा 0.101 जिस पर उसका आवास निर्मित है, अवैध कब्जा किया गया है।
- प्रकरण का परीक्षण कर प्रतिवेदन मँगाने के लिये सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार सहायक निदेशक द्वारा नोटिस क्रमांक **PB/5/2018/STGMP/DELAAL/RU-III** दिनांक **15 May 2018** जारी करते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा को 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
- नोटिस के तारतम्य में कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के जिला सतर्कता अधिकारी का पत्र क्रमांक 7787/जिशिलि/राअजनजाति/2018 छिन्दवाड़ा दिनांक 16/8/2018 आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा का निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने लेख किया है कि मामला जमीन संबंधी विवाद को होने की वजह से दोनों पक्षों के विरुद्ध शु.न. 13/18 धारा 145 जा.फौ.के अंतर्गत कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि चूंकि यह मामला जमीन के विवाद से संबंधित हैं इसलिये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में प्रस्तुत कर समाधान करवाने की समझाईश दी गई।


शुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण राजस्व विभाग से ही संबंधित है और राजस्व विभाग से ही इसका समाधान होना है जबकि कलेक्टर कार्यालय से किसी प्रकार का अभिमत नहीं दिया गया।
- प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि आवेदिका की उक्त भूमि पर अनावेदक श्री लक्ष्मीचंद यादव द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और मकान बना रहा है। इस भूमि का राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन भी किया गया है और अनावेदक श्री लक्ष्मीचंद यादव का अवैध कब्जा पाया गया है। अनावेदक के विरुद्ध आवेदिका की भूमि रिक्त करने हेतु बेदखली वारंट भी जारी किया गया है।
- अवैध कब्जा पाए जाने तथा वारंट जारी होने के बाद भी अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला आवेदिका की भूमि से अवैध कब्जा हटवाया नहीं जा सका है और बेदखली वारंट के संबंध में संबंधित तहसील को जानकारी नहीं है। वारंट के संबंध में दस्तावेजों के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया।

निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई के दौरान आवेदक एवं प्रशासन के पक्ष को सुना गया। तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि प्रशासन द्वारा आयोग के नोटिस के उपरांत भी गंभीरता से प्रकरण के निराकरण के लिये किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। यदि प्रयास किया जाता तो आयोग को सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- सुनवाई में अतिरिक्त कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि एक सप्ताह में प्रकरण का परीक्षण कर कब्जा दिलाने की आवश्यक कार्यवाही करते हुए तथ्यों से अवगत करायेगें ताकि आवेदक की समस्या का निराकरण हो सके।
- अतएव एक सप्ताह में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये संबंधित अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत करावें।
- आयोग के नोटिसों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यदि उक्त सभी प्रकरणों में प्रशासन ध्यान देता तो इनका निराकरण समयावधि में संभव था। कलेक्टर, आयोग के नोटिसों और पत्रों का उत्तर समयावधि में भिजवाने की व्यवस्था एवं स्वयं की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।


(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता आवेदक :- श्रीमती प्रभाबाई पति श्री सुखपाल यहके, ग्राम डुंगरिया
पोष्ट डुंगरिया तीतरा, तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा

आयोग की फाईल नंबर PB/5/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सुनवाई / बैठक की तिथि : 21/01/2019

स्थान : सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

- सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा।
- तहसीलदार, परासिया श्रीमती किरन बरवडे ।

अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्रीमती प्रभाबाई यहके